उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग शक्ति भवन(वि०), लखनऊ, 226001

Secretary.cpftrust@uppcl.org

www.uppst.org

संख्या:-I/18232/2025//54/DVVNL/Correspondence2020/दिनांक:-22-07-2025

लेखाधिकारी (सी०पी०एफ०)

पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को,

विद्युत वितरण निगम लि०,

वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में भुगतान किये गये Manual एरियर/वेतन इत्यादि के सम्बन्ध में।

ज्ञातव्य है कि अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों को ई०आर०पी० प्रणाली लागू होने के पश्चात् भी वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में मासिक वेतन/एरियर इत्यादि का भुगतान Manually किया गया है, जिसके सापेक्ष अधिकांश कटौतियों का लेखांकन सी०पी०एफ० लेखापर्चियों में अद्यतन तक नही हो पाया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु ट्रस्ट कार्यालय द्वारा समय-समय पर पत्र सं0-1441/14/अं0भ0नि0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक-27.11.2021, पत्र सं0-786/14/अं0भ0नि0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक-30.05.2022, पत्र सं0-1563/14/अं0भ0नि0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक-29.10.2022, पत्र सं0-232/14/अं0भ0नि0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक-02.03.2023, पत्र सं0-952/14/अं0भ0नि0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक-25.08.2023 एवं पत्र सं0-1260/14/अं0भ0नि0 ट्रस्ट/सामान्य आदेश/01 दिनांक-18.11.2023 के माध्यम से दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

अग्रेतर सूचित करना है कि Manually भुगतान किये गये वेतन/एरियर इत्यादि की प्रविष्टि ई0आर0पी0 जनित वेतन पंजिका में न होने के कारण इनका मिलान सम्बन्धित खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये Paybills एवं Vouchers से किया जा रहा है, जिनका परीक्षण किये जाने पर सामान्यतः निम्नलिखित त्रुटियाँ परिलक्षित हो रही हैः-

1. सम्बन्धित खण्डों द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपठनीय Vouchers/Paybills उपलब्ध कराये जा रहे है, जिससे Vouchers एवं Paybills का मिलान सम्भव नहीं हो पाता है।
2. Vouchers के सापेक्ष Paybills संलग्न नहीं किया जाता है।
3. Manually भुगतान किये गये वेतन/एरियर के सापेक्ष की गई सी0पी0एफ0 कटौतियों की धनराशि ट्रस्ट कार्यालय को प्राप्त हुई है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में भी कोई सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
4. Vouchers एवं Paybills में सी0पी0एफ0 खाता सं0/सैप आई0डी0 अंकित नही होती है, जिस कारण कार्मिक सी0पी0एफ0 योजना से आवरित है अथवा जी0पी0एफ0, यह स्पष्ट

नही हो पाता है। साथ ही एरियर की प्रविष्टि किस सी0पी0एफ0 खाते/सैप आई0डी0 के सापेक्ष ई0आर0पी0 सैप पर की जानी है, यह भी स्पष्ट नहीं होता है।

5. एरियर के सापेक्ष नियोक्ता अंशदान की गणना त्रुटिपूर्ण होती है अथवा नियोक्ता अंशदान का प्राविधान ही नही किया जाता है।
6. डी0ए0 एरियर/सातवें वेतन आयोग के एरियर के सापेक्ष सी0पी0एफ0 कटौती, नकद भुगतान एवं TDS की कटौती के सम्बन्ध में पावर कारपोरेशन स्तर से निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है।
7. एरियर के सापेक्ष निर्गत Paybills की सक्षम अधिकारी के स्तर से विदीक्षा नहीं करायी जाती है।
8. Vouchers में G.L. Code अंकित नहीं किया जाता है अथवा गलत G.L. Code में प्रविष्टि की जाती है।
9. Vouchers में तिथि अंकित नही की जाती है, जिससे यह स्पष्ट नही हो पाता है कि सम्बन्धित एरियर का लेखांकन किस माह/वर्ष में किया गया है।
10. एक ही एरियर के सापेक्ष एक से अधिक Vouchers एवं Paybills उपलब्ध कराये जाते है, जिससे सम्बन्धित कार्मिकों की लेखापर्ची में दो बार सी0पी0एफ0 अंशदान की प्रविष्टि होने की सम्भावना रहती है।

उक्त वर्णित त्रुटियों के फलस्वरूप Manual एरियर/वेतन इत्यादि के सापेक्ष की गई सी0पी0एफ0 कटौतियों की प्रविष्टि सम्बन्धित कार्मिकों की लेखापर्चियों में किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उक्त के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा है कि डिस्काम/निगम की अधीनस्थ इकाईयों में कार्यरत अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में भुगतान किये गये Manual एरियर/वेतन इत्यादि के सापेक्ष की गई सी0पी0एफ0 कटौतियों की प्रविष्टि सम्बन्धित कार्मिकों की लेखापर्ची में करने हेतु सम्बन्धित परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से लेखा बुकिंग से मिलान कर सत्यापित अनुसूचियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कार्मिकों की लेखापर्ची में सी0पी0एफ0 अंशदान की प्रविष्टि किया जाना सम्भव हो सके।

/

(अमित रंजन)
सचिव (ट्रस्ट)

संख्या:-I/18232/2025//54/DVVNL/Correspondence2020/दिनांक:-22-07-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त/का0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण

निगम लि0/ केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।

4. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज़, उ0प्र0पा0का0लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट ।
5. उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा),पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/ केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
7. उपसचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/ केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
9. अधिशासी अभियंता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/ केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/ मेरठ/कानपुर।
11. लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण-मध्य/उत्तर-पूर्व/दक्षिण-पूर्व/पश्चिम/दक्षिण-मध्य/दक्षिण-पश्चिम, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, लखनऊ/गोरखपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/आगरा।
12. लेखाधिकारी (के0भु0प्र0),पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/ केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
13. लेखाधिकारी (सा0प्र0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, महानगर, लखनऊ।
14. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान/वेतन एवं लेखा/के0भु0प्र0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. लेखाधिकारी, मुख्यालय भुगतान इकाई, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. समस्त लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(अमित रंजन)
सचिव (ट्रस्ट)